न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या– 4, अजमेर
पीठासीन अधिकारी – ऋतु मीणा, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रथम सूचना संख्या: 96/2026, पुलिस थाना सिविल लाईन्स, अजमेर
अपराध अंतर्गत धारा : 318(4), 316(2), 319(2), 336(2), 336(3), 61(2)(ए)
भारतीय न्याय संहिता
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 649/2026

रमजान उर्फ कालू पुत्र श्री रहीम, उम्र 36 वर्ष, निवासी–फकीराखेडा, सोमलपुर रोड़ पी.एस. रामगंज अजमेर।

––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, अजमेर।

––अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थिति–
1. श्री नरेश कुमार अरोडा, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी
2. श्री गुलाम नजमी फारूकी, विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते राजस्थान राज्य

आदेश दिनांक 06.06.2026

01– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 3, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो जरिए आदेश दिनांकित 26.05.2026 को खारिज किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत माननीय न्यायालय सेशन न्यायाधीश, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु जरिए अंतरण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ, जिसकी नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

02– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 16.04.2026 को परिवादी दीपक परेवा ने एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 12.04.2026 को त्रिलोक जैन का स्क्रेप माल उसे दिलीप सिंह ने ग्राम बिठुर मे दिखाया जो कि एक ट्रेक्टर, एक जे.सी.बी., केशन मशीन सम्पूर्ण, टायर, लोहा,

Authenticated Document

जनरेटर, ट्रांसफार्मर दिखाया और कहा कि वह यहां का मुनिम हू और सेठ जी त्रिलोक जैन ने उसे यह सारा स्क्रेप बेचने के लिए कहा है। फिर अप्रार्थी दिलीप सिंह ने उसे कहा कि एक एग्रीमेंट टाईप करवा लेते हैं। तब उसने दिनांक 14.04.2026 को एक एग्रीमेंट कलैक्टर परिसर मे नोटेरी से तस्दीक करवाने हेतु समय लगभग दोहपर 01:00 बजे आये। उस समय अप्रार्थी दिलीप सिंह के साथ त्रिलोक जैन सेठ साथ में था, जिसको उन्होंने नोटेरी से तस्दीक करवाया। एग्रीमेंट कुल ग्यारह लाख रूपये में तय हुआ था, जिसमें से पांच लाख रूपये उसनेत् नकद अप्रार्थीगण दिलीप सिंह और त्रिलोक जैन को दिये तथा शेष राशि दिनांक 17.04.2026 को देना तय हुई थी। पांच लाख रूपये गिनकर लेने के बाद अप्रार्थीगण ने उसे कहा कि तुम जी.सी.ए. चौराहे पर चलो, वे बिठुर केशर प्लांट की चाबी लेकर आ रहे हैं। अप्रार्थीगण काली स्कूटी जिसका रजिस्ट्रेशन नं. आरजे 01 यूबी 7236 पर सवार थे। फिर दिलीपसिंह अप्रार्थी का फोन उसके साथ के मंगल व्यक्ति के पास आया जो कि उसका गवाह उक्त एग्रीमेंट में है। तब दिलीपसिंह ने फोन पर कहा कि तुम केशर प्लॉट बिठुर चलो और बाहर ही खडे रहना, वे चाबी लेकर आ रहे है और तुमको स्केप माल संभला देंगे। काफी इंतजार करने के पश्चात भी अप्रार्थीगण नहीं आये तो मंगल ने इनको फोन किया तो दिलीप सिंह का मो. नं. 9251238815 स्विच ऑफ था। फिर वह केशर प्लांट मे मंगल के साथ गया, वहां पर चौकीदार मिला, जिसने पूछा कि कैसे आये हो तो उसने कहा कि उसने स्केप खरीदने का एग्रीमेंट त्रिलोक जैन से किया है जो वे माल लेने आए है तब चौकीदार ने सेठ से फोन किया, तब उसने सेठ से बात की तो सेठ ने कहा कि उसने कोई माल स्क्रेप का नहीं बेचा है और न ही उसने पैसे प्राप्त किये है और न ही एग्रीमेंट किया है। तब उसे ज्ञात हुआ कि उसके साथ धोखाधडी कर उक्त अप्रार्थीग ने उसके पांच लाख रूपये हडप कर लिये है..... इत्यादि।

03– उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सिविल लाईन्स में मुकदमा संख्या 96/2026 धारा 318(4), 316(2), 61(2)(A) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं अब तक के अनुसधान में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 318(4), 316(2), 319(2), 336(2), 336(3), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता का अपराध बनना पाया गया है।

04– बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई।

05– दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त प्रकरण में झूठा आरोपी बनाया गया है, वह पूर्णतया निर्दोष है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने का मुख्य आधार अपराध का गंभीर होना एवं अभियुक्त के पूर्व के प्रकरणों का होना दर्शाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो लिस्ट अभियुक्त के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश मे दर्शाई है, उसमे 4 प्रकरण में अभियुक्त दोषमुक्त हो चुका है। अन्य प्रकरण जो दर्शाये है वह करीबन 8 वर्ष

Authenticated Document

पुराने है। दर्शायी गई लिस्ट क्रमांक 18 में विवाद प्रार्थी/अभियुक्त एवं उसकी पत्नी के मध्य था, जिसमें दोनो पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के समय उसके कब्जे से कोई सामान या राशि बरामद नही की गई है, अपितु पुलिस अभिरक्षा के दौरान प्रार्थी की पत्नी से कुछ राशि नगद प्राप्त की गई थी, जिससे उक्त राशि अभियुक्त के विरूद्ध दर्शाना संभव है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट नामजद नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व जमानत आदेश व निर्णयों में यह सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है कि अन्य प्रकरणों के विचारण रहने से प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का आधार समाप्त नहीं हो जाता है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 12.05.2026 से पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त के न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके स्वास्थ्य पर एवं उसके परिवार की आर्थिक स्थिति पर दुष्प्रभाव पड रहा है तथा विचारण में समय लगेगा। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड की हद तक प्रथम दृष्ट्या नहीं बनता है। प्रार्थी/अभियुक्त अजमेर का मूल निवासी है एवं वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने को माननीय न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली प्रत्येक शर्त का पालन करने को तैयार एवं तत्पर है एवं संतोषप्रद जमानतें भी प्रस्तुत करने को तैयार है। अतः प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उचित जमानत मुचलकों पर रिहा करने के आदेश प्रदान किये जावे।

06– इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का कड़ा विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज करने की प्रार्थना की।

07– दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व अपराधिक रिकार्ड इस प्रकार है–

क्र.सं.	मुकदमा नंबर / दिनांक	धारा / थाना	चालान नंबर / दिनांक	नतीजा / टिप्पणी
1.	147/14, 20–05–24	457, 380 भा.दं.सं., आदर्श नगर	265 /14	दोषमुक्त
2.	164/14, 20–06–14	457, 380 भा.दं.सं., रामगंज	171ए/ 14	दोषमुक्त
3.	257/14, 04–07–14	457, 380 भा.दं.सं., क्रि.गंज	280 ए / 14	–
4.	267/14, 06–07–14	457, 380 भा.दं.सं., क्रि.गंज	374/14	दोषसिद्ध
5.	–	380 भा.दं.सं., ब्यावर शहर	414 ए / 16	–

Authenticated Document

6.	67/16, 27–04–16	384, 34 भा.दं.सं., मांगलियावास	103/16	–
7.	72/16, 02–05–16	384, 20, 120 बी भा.दं.सं., मांगलियावास	73/16	–
8.	76/16, 07–05–16	420, 384, 386 भा.दं.सं., मांगलियावास	4/16	–
9.	80/16, 14–05–16	3/25 आर्म्स एक्ट, मांगलियावास	70/16	–
10.	171/10	392, 34 भा.दं.सं. व 3/25 आर्म्स एक्ट, मांगलियावास	24/11	–
11.	201/17	406, 420 भा.दं.सं., क्लॉक टावर	212/17	–
12.	286/17	406, 420, 419 भा.दं.सं., क्लॉक टावर (अलवरगेट)	305/17	–
13.	220/17,	406, 420, 419, 465, 467, 468, 120 बी भा.दं.सं.	227 ए / 17	दोषमुक्त
14.	287/17, 16–08–17	406, 420, अलवरगेट	315/17	–
15.	165/20, 11–06–20	420, 467, 468, 471, 120 बी भा.दं.सं., सिविल लाईन	225/20	दोषमुक्त
16.	293/15, 29–06–15	420 भा.दं.सं., सिविल लाईन	250/15	–
17.	356/19, 06–09–19	420, 406, 120 बी भा.दं.सं., Civil Line (सिविल लाईन)	50/20	–
18.	205/24, 13–06–24	323, 435, 341, 504, 506 भा.दं.सं., रामगंज	178/24	–
19.	37/23, 7–02–23	8/20 एनडीपीएस एक्ट, मोडक कोटा ग्रामीण	136/23	299 सीआरपीसी में वांछित 5000/– रू इनामी अपराधी

08– केस डायरी के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचकर खानाबदोश बुजुर्ग चौधरी नामक व्यक्ति को गोदाम का मालिक त्रिलोक जैन बताकर व स्वयं को उसका मुनीम दिलीप सिंह बताकर कूटरचित इकरारनामा कबाड व स्क्रैप का सामान बेचने का इकरार कर परिवादी से पांच लाख रुपये हपड़ने के तहत धारा 318(4), 316(2), 319(2), 336(2), 336(3), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रथम दृष्टया आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 11.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा हैं। प्रकरण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रकरण अभी अनुसंधानरत है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत

का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

09– परिणामस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त रमजान की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त अन्य प्रकरण में वांछित न हो तो विद्वान विचारण न्यायालय के सन्तोषप्रद 50,000 रूपये की राशि का स्वयं का बंध पत्र एवं 25,000–25,000 रूपये की दो जमानतें इस आशय की प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवे कि वह प्रत्येक तारीख पेशी पर नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

10– उक्त आदेश की एक प्रति माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP (CRIMINAL) NO. 4/2021 IN RE POLICY STRATEGY FOR GRANT OF BAIL में पारित आदेश दिनांक 31.01.2023 की पालना में मुलजिम को उपलब्ध कराने हेतु जरिये ई– मेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर को प्रेषित की जावे।

(ऋतु मीणा)
अपर जिला एंव सेशन न्यायाधीश
संख्या 4, अजमेर

11– आदेश आज दिनांक 06.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(ऋतु मीणा)
अपर जिला एंव सेशन न्यायाधीश
संख्या 4, अजमेर

Jamsheed Ahmed

Digitally signed by Jamsheed Ahmed
Date: 2026.06.09 13:12:03 +0530

Authenticated Document